



VINOBA BHAVE UNIVERSITY
HAZARIBAG - 825 301

Post Box No. - 31

Phone Nos. V.C.-264729 (O), 262342 (R), P.V.C.-264724 (O), 262341 (R), Registrar-270982 (O), 262722 (R)
C.E.-262330 (O), 262387 (R), P.O.-270983 (O)
FAX-03546-262725, 270982 (O), 264056 (R)

Ref. No. VBU/ESTT/1240/2013

Date 27.07.13

सेवा,

कुलपति,
विश्व भारी विश्वविद्यालय,
हजारिबाग।

सेवा में,

श्री एम एम एम एम शिक्षक परिषद (सीएमए) कोलकाता,
गुरुदासपुर, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल।

विषय -

श्री एम एम एम एम शिक्षक परिषद (सीएमए) कोलकाता, वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 के लिए संस्थान स्वीकीकरण की संख्या में।

संदर्भ,

मान्य संस्थान शिक्षक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के पत्रों 5/स. 1-03/2010 1177, तारीख दिनांक 26.07.2013 की प्रतिलिपि में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, न्यूदेहली के पत्रों ERC/T.136A-SNCTE/B.04/2012/12731 दिनांक 26.07.13 के अंतर्गत में विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विश्व भारी विश्वविद्यालय, हजारिबाग, पश्चिम बंगाल को दिनांक 26.07.2013 के पत्र संख्या- 575/104/01 के अनुसार श्री एम एम एम एम शिक्षक परिषद (सीएमए) कोलकाता को वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 के लिए शिक्षक वर्गों के साथ शिक्षा विभाग संस्थान स्वीकीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

- (1) महाविद्यालय पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी कि NCTE द्वारा निर्धारित 200 शिक्षक विवर, जिसमें 40 दिन शिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है, का पालन हो।
- (2) महाविद्यालय/संस्थान NCTE के द्वारा निर्धारित Norms एवं- पूर्ण, अर्ध एवं अन्य मामलों को पूरा करेगा।
- (3) छात्रों के सम्बन्ध में NCTE, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को पूर्णतः पालन करेगा।
- (4) महाविद्यालय में नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित कार्यक्रम को अनुपालन हुआ हो।
- (5) महाविद्यालय संस्थान स्वीकीकरण की अनुमति वाले शिक्षक वर्गों का पूरा होना सुनिश्चित करेगा।
- (6) महाविद्यालय परिसर में शिक्षक स्वीकरण के अलावा अन्य कोई संस्थान सम्बन्धित नहीं होगा।
- (7) शिक्षण प्रतिवेदन में पत्रों पर सभी को महाविद्यालय पूरा करेगा।
- (8) यदि शिक्षक वर्गों प्रदान नहीं किये जायेंगे तो इसकी सूचना महाविद्यालय विश्वविद्यालय एवं N.C.T.E. को सूचित करेगा।

विद्युत्सहायक

विश्व भारी विश्वविद्यालय
हजारिबाग